न्यायालय :–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा, आर. ए. एस.।

राजस्व विविध संख्या–10/2020

प्रार्थी :–

1– आजाद मोहम्मद पुत्र शेख शेखावत मसुरी, उम्र वयस्क, जाति पठान मुसलमान, निवासी सुभाष नगर, पाली, तहसील पाली, (राज.)
2– सिकन्दर खां पुत्र फकीर मोहम्मद, उम्र वयस्क, जाति खलीफा मुसलमान, निवासी सुभाष नगर, पाली, तहसील पाली, (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रानी
तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.)

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमः–

उपस्थिति :–
1–श्री विजय राजपुरोहित व किशोरसिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2– सरकारी पेरोकार अप्रार्थी की ओर से।

–: निर्णयः– दिनांक–24/02/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravikant Singh
Date: 2022.05.07 15:15:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा गांव भादरलाऊ, पटवार हल्का भादरलाऊ, तहसील रानी, जिला पाली (राज.) मे खसरा नम्बर 77 कुल रकबा 0.8100 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम कब्जा काश्त सुदा विद्यमान है। उक्त वर्णित आराजी मे काश्त हेतु आवागमन के लिए रास्ता नही है

क्रमशः पेज 2 पर

जिस कारण से उक्त आराजियात मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, मे से माठ के सहारे सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित के अनुसार तीस फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को नियमानुसार दिलवाये जाने की प्रार्थना की तथा रास्ते को नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने व जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रकरण मे मौका की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रानी के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक, सोमेसर से करवाकर दिनांक 09.02.2021 की पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व सरकारी पेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रानी की ओर से भू अभिलेख निरीक्षक सोमेसर की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस अनुसार ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया। मौका जांच रिपोर्ट मे रास्ते से संबंधित विधि के दोनो बिन्दु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे पहुंच के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते का अभाव मौका जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है। मौका जांच रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के लिए वैकल्पिक रास्ता नही होना तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे पहुंच हेतु नजदीकी रास्ता मौका रिपोर्ट में प्रार्थना मे वर्णित अनुसार ही होना बताया गया है। इस प्रकार से वर्तमान मे खसरा न. 76 मे से रास्ते की आवश्यकता है जो मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार दिलवाये जाने का निवेदन किया गया। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

सरकारी पेरोकार ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि मौका जांच से प्रमाणित है कि प्रार्थीगण की खातेदारी गांव भादरलाऊ के खसरा न. 77 मे आने जाने हेतु वर्तमान मे कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। मौका जांच रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ता ही [illegible] 77 मे आने जाने हेतु निकटतम रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:15:22 IST
Reason: SelfAttested

दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 77 मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही है एवं रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपनी

क्रमशः पेज 3 पर

खातेदारी भूमि पर आ जा नही सकते है। जिस कारण से उक्त खसरा न 77 मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, मे से माठ के सहारे सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित के अनुसार तीस फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को नियमानुसार दिलवाये जाने की मांग की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक, सोमेसर की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 77 प्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा खसरा नम्बर 76 अप्रार्थी राज्य सरकार के खाते मे दर्ज है। राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 77 मे आने जाने हेतु रास्ता नही है। जिसके लिए रास्ता खसरा नम्बर 76 की भूमि मे से दिया जा सकता है जो कि राज्य सरकार के खाते मे दर्ज है। जिस रास्ते को प्रार्थीगण को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जो कि मौका रिपोर्ट मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। नये रास्ते से संबंधित विधि मे दो मुख्य बिन्दुओं पर गौर किया जाना होता है जिसमे रास्ता की आत्यन्तिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते का अभाव। मौका जांच रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होना व नजदीकी रास्ता उक्त वर्णित अनुसार होना तहसीलदार रानी ने अपनी रिपोर्ट मे जाहिर किया है। जिससे मेरी विन्रम राय मे भू अभिलेख निरीक्षक, सोमेसर की मौका जांच रिपोर्ट मे दर्शाये अनुसार ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 77 मे आने जाने हेतु रास्ता 5 मीटर बाई 8 मीटर के अनुसार मे खसरा न. 76 मे से दिया जाना न्यायसंगत व उचित है।

– आदेश–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार, रानी की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार मौजा भादरलाऊ मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 77 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 76 मे से रास्ता की भूमि 40 वर्गमीटर अर्थात 0.0040 हैक्टेयर जो कुल रास्ता की भूमि है। उक्त रकबा मौका जांच रिपोर्ट मे लाल स्याही के रूप मे रूप मे [illegible] है। उक्त नया रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा [illegible] से सड़क हेतु स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की आराजी [illegible] वर्गमीटर होती है। तहसीलदार, रानी उक्त रास्ते की आराजी 40 वर्गमीटर अर्थात 0.0040 हैक्टेयर की वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि से गणना कर प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर के प्रतिकर स्वरूप राज्य सरकार के खाते मे जमा करावें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रतिकर राशि जमा कराने के पश्चात

क्रमशः पेज 4 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:15:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नये रास्ते की भूमि का अमल दरामद तहसीलदार, रानी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे गै.मु. सार्वजनिक रास्ता दर्ज करे एवं नक्शा मे तरमीम करे। उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ता के रूप मे खुली रहेगी। जिसका रास्ता के रूप मे आवागमन हेतु उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थी करेगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार, रानी को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, रानी
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक–24/2/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, रानी
(S.D.O.) रानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:15:22 IST
Reason: SelfAttested